

कार्यालय सभ निदेशक फायर सर्विस लखनऊ ।  
पत्र संख्या-एफएस/2017/32147/एलकेडब्ल्यू/लखनऊ/2579/डीडी दिनांक जुलाई 12 2017  
सेवा में

अधिशारी अभियन्ता (मा0सेल),  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
विपिनखण्ड, गौमतीनगर,  
लखनऊ ।

विषय:- खंखरा नं0-114स ग्राम-टेराखास सतरिख रोड, चिनहट, लखनऊ पर मेसर्स आंशा इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तावित अफोर्टेबल समूह आवास की प्रोजेक्शन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किधे जाने के सम्बन्ध में।  
यूआईडी नम्बर-2017/32147/एलकेडब्ल्यू/लखनऊ/2579/डीडी दिनांक-09.07.17

कृपया अपने पत्र संख्या-06/ए.ए.एम.सी./17 दिनांक-25.04.17 का सन्दर्भ ग्रहण करके मेरी कृपा करें जो उपरोक्त विषयक है।

प्रश्नगत प्रस्तावित समूह आवास भवन के प्रस्तुत मानचित्र का एन0बी0सी0-2016 एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के अनुसार प्राविधानित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का भौतिक निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन अधिकारी, गौमतीनगर द्वारा कराया गया जिसकी आख्या का सुसंगत मापका अनुसार परिशीलन किया गया जो निम्नवत है-

भवन की संरचना:-

1-कुल भूखण्ड एरिया- 8272.00 वर्गमीटर।

ब्लॉक-ए

- प्रस्तावित भूतल का कवर्ड एरिया- 760.97 वर्गमीटर।
- प्रथम तल से 06 वें तल का टिपिकल कवर्ड एरिया- 745.65 वर्गमीटर।

ब्लॉक-बी

- प्रस्तावित भूतल का कवर्ड एरिया- 958.31 वर्गमीटर।
- प्रथम तल से 06 वें तल का टिपिकल कवर्ड एरिया- 951.11 वर्गमीटर।

2-भवन के प्रत्येक ब्लॉक की चौड़ाई-20.95 मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं हैजाड श्रेणी-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की आवासीय ए-5 श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

चौचागत व्यवस्था -

1-पहुँच मार्ग-भूखण्ड के सामने मानचित्र में 30.00 मीटर रोड की चौड़ाई है।

2-प्रवेश द्वार की चौड़ाई-06.00 मीटर है जो मानक के अनुसार है।

3-सेटबैक- भवन का न्यूनतम सेटबैक निम्नवत हैं-

- अग्रभाग- 07.00 मीटर।
- पृष्ठभाग- 07.00 मीटर।
- पार्श्वभाग प्रथम- 07.00 मीटर।
- पार्श्वभाग द्वितीय- 07.00 मीटर।

उपरोक्त भवन के सेटबैक भवन विनियमवाली के अनुसार है सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रख जायेगे। सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

4-निकास मार्ग-प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लॉक में 02 स्टेयर केस प्रत्येक की चौड़ाई-01.50 मीटर का प्राविधान किया गया है जिनकी पहलोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5-रिपयूज एरिया का विवरण-प्रत्येक फ्लैट में बालकनी प्रस्तावित है।

(2)

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था—नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया-2016 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण की जानी अनिवार्य हैं।

1-होजरील—प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लॉक में होजरील लैण्डिंग वाल्व आईएसओ-3844 मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

2-डाउनकमर—प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लॉक में डाउनकमर सिस्टम एनबीसी-2016 के मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

3-हस्तचालित इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम—प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लॉक में मैनुअल आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एनबीसी मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

4-टैरिस टैंक—भवन के प्रत्येक ब्लॉक के टैरिस पर टैरिस टैंक-25000 लीटर क्षमता का स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।

5-टैरिस पम्प—प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लॉक के टैरिस पर टैरिस पम्प 900 लीटर क्षमता का स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

6-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर)—भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आईएसओ-2190 के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

7-एग्जिट साइनेज—सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साइनेज प्राविधानित किये गये हैं।

8-पीओए सिस्टम—सम्पूर्ण भवन में पीओए सिस्टम की व्यवस्था प्राविधानित है।

9-प्रशिक्षित स्टाफ—भवन में प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा उपकरणों के भवन में अधिष्ठापन के बाद कुशल संचालन हेतु एक क्वैलिफाइड फायर आफिसर व स्टाफ रखे जाने आवश्यक होंगे।

उपरोक्तानुसार खसरा नं०-114स ग्राम-टेराखास, सतरिख रोड, चिनहट, लखनऊ पर भवन आर्शा इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा०लि० द्वारा प्रस्तावित अपार्टेबुल समूह आवास भवन के निर्माण हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया-2016 के उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानको के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक—अनुमोदित मानचित्र

  
(ए०बी०पाण्डेय)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी/  
उप निदेशक, फायर सर्विस,  
लखनऊ।

प्रतिलिपि—अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2-मेसर्स आर्शा इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा०लि०, 114स ग्राम-टेराखास, सतरिख रोड, चिनहट, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।